दिनांक— 31.08.2021 को उप विकास आयुक्त, गुमला की अध्यक्षता में आयोजित वितीय वर्ष— 2021—22 की आत्मा शासकीय निकाय की बैठक की कार्यवाही—

उपस्थिति— पंजी में संधारित।

वितीय वर्ष— 2021—22 की आत्मा शासकीय निकाय की बैठक में आत्मा कार्यालय द्वारा संचालित योजना किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रत्यक्षण कार्यक्रम, किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम, कृषकों का क्षमता विकास **(FIG/ Seed Money/Food Security Group)** , किसान मेला, तकनीकी पुस्तिका/लिफलेट, लघु फिल्म निर्माण/ ई पैकिज, कृषक वैज्ञानिक अर्न्तमिलन कार्यक्रम, कृषक गोष्ठी, कृषक पाठशाला इत्यादी पर विस्तार चर्चा एवं विचार विमर्श किए गए।

उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी—सह—परियोजना निदेशक, आत्मा गुमला के द्वारा वितीय वर्ष 2021—22 **SMAE (Sub Mission on Agriculture Extension)** की कार्ययोजना पर चर्चा के क्रम में बताया कि—

- अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण— जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs. 1.56000 lakh)** कुल 1.56000 (एक लाख छप्पन हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को देश के दूसरे राज्यों के विभिन्न सरकारी संस्था में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिलाया जायगा। इसमें सभी संबंधित विभाग— मत्सय, गव्य, पशुपालन, उद्यान के किसान, **NGO** के किसान साथ ही जिले का कोई भी इच्छुक किसान शामिल हो सकते है। उक्त विभाग एवं जिले के **NGO** से किसानों ... नामित करने हेतू अनुरोध किया गया ।

  (अनुपालन— परियोजना निदेशक, आत्मा, covid प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए करेंगें।)

- राज्यस्तरीय प्रशिक्षण— जिले में 02 (दो) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs. 1.25000 lakh)** कुल 2.50000 (दो लाख पचास हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को झारखण्ड़ राज्य के दूसरे जिलों के विभिन्न सरकारी संस्था यथा— के0भी0के0, पलाण्डु एवं अन्यत्र में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिलाया जायगा।

  (अनुपालन— परियोजना निदेशक, आत्मा, covid प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए करेंगें।)

- जिला स्तरीय प्रशिक्षण— जिले में 34 (चौंतिस) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs.0.36000 lakh)** कुल 12.24000 (बारह लाख चौबिस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को जिले में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिलाया जायगा।

  (अनुपालन— परियोजना निदेशक, आत्मा, covid प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए करेंगें।)

- <u>प्रत्यक्षण–</u> जिले में **कृषि प्रत्यक्षण** का कुल 37 (सैंतिस) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs.0.04000 lakh**) कुल 1.48000 (एक लाख अड़तालिस हजार रूपये) का प्रावधान है। साथ ही अनुषंगी क्षेत्र में कुल 140 (एक सौ चालिस) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs.0.04000 lakh**) कुल 5.60000 (पांच लाख साठ हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत **KVK** से समन्वय करा कर नई तकनीक से खेती कराई जाती है। प्रखण्ड स्तर पर किसानों का चयन किया जा रहा है। सभी संबंधित विभाग इसमें भाग ले सकते है।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी अनुषंगी कार्यालय, covid प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगें।)

- <u>अन्तर्राज्यीय परिभ्रमण</u>– जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs. 2.00000 lakh**) कुल 2.00000 (दो लाख रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को देश के दूसरे राज्यों के विभिन्न सरकारी संस्था में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू परिभ्रमण कराया जायगा। इसमें सभी संबंधित विभाग– मत्सय, गव्य, पशुपालन, उद्यान के किसान, **NGO** के किसान साथ ही जिले का कोई भी इच्छुक किसान शामिल हो सकते है। उक्त विभाग एवं जिले के **NGO** से किसानों को नामित करने हेतू अनुरोध किया गया ।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी अनुषंगी कार्यालय, covid प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगें।)

- <u>राज्यस्तरीय परिभ्रमण–</u> जिले में 03 (तीन) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs. 0.37500 lakh**) कुल 1.12500 (एक लाख बारह हजार पांच सौ रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को झारखण्ड़ राज्य के दूसरे जिलों के विभिन्न सरकारी संस्था यथा– के0भी0के0, पलाण्डु एवं अन्यत्र में कृषि तकनीक की जानकारी हेतू परिभ्रमण कराया जायगा।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी अनुषंगी कार्यालय, covid प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगें।)

- <u>जिला स्तरीय परिभ्रमण –</u> जिले में 36 (छत्तिस) लक्ष्य है जिसके लिए (**per unit Rs.0.09000 lakh**) कुल 3.24000 (तीन लाख चौबिस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत गुमला जिले के कृषकों को जिले में अवस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी यथा– के0भी0के0, डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म एवं कृषि फार्म का तकनीक की जानकारी हेतू परिभ्रमण कराया जायगा।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी अनुषंगी कार्यालय, covid प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करेंगें।)

- कृषकों का क्षमता विकास **(FIG/ Seed Money/Food Security Group)-**

कृषक समूह / स्वयं सहायता समूह (FIG)- जिले में 36 (छत्तिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.05000 lakh) कुल 1.80000(एक लाख अस्सी हजार रूपये) का प्रावधान है।
(अनुपालन– सभी BTM/ATM ।)

Seed Money/revlving funds- जिले में 07 (सात) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.10000 lakh) कुल 0.70000 (सत्तर हजार रूपये) का प्रावधान है।
(अनुपालन– सभी BTM/ATM अनुपालन।)

Food Security Group- जिले में 04 (चार) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.10000 lakh) कुल 0.40000 (चालिस हजार रूपये) का प्रावधान है।
(अनुपालन– सभी BTM/ATM ।)

उक्त तीनो ही कार्यक्रम के लिए समूह के चयन का कार्य जारी है। अगले बैठक में सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि सबको जानकारी मिल सके।

- **किसान मेला–** जिले में 01 (एक) किसान मेला कराने का लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.4.00000 lakh)कुल 4.00000(चार लाख रूपये) का प्रावधान है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार जिला मुख्यालय एवं प्रखण्ड़ स्तर कहीं भी कराया जा सकता है।

  (अनुपालन– राज्य आपदा प्रबंधन एवं उपायुक्त, महोदय की अनुमति से करेंगें।)

- **तकनीकी पुस्तिका निर्माण एवं प्रचार–प्रसार–** जिले में 05 (पांच) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.20000 lakh) कुल 1.00000 (एक लाख रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत कृषि तकनीक एवं किसानों की जरूरत के अनुसार उपयोगी विषयों पर बुकलेट / लिफलेट का निर्माण कराया जा सकता है।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक, आत्मा अनुपालन करेंगें।)

- **तकनीकी विषय पर विडियो फिल्म का निर्माण –** जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.20000 lakh) कुल 0.20000 (बीस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसान का विडियो फिल्म का निर्माण कराया जाएगा। सभी कृषि संबंधी विभाग से सुझाव आमंत्रित किए गए।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक, आत्मा अनुपालन करेंगें।)

- **कृषक वैज्ञानिक अन्तर्मिलन कार्यक्रम–** जिले में 02 (दो) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.20000 lakh) कुल 0.40000 (चालिस हजार रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों से किसानों का संर्पक कराया जाएगा। जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो एवं उनकी कृषि संबद्ध समस्याओं का समाधान हो।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक / उप परियोजना निदेशक, आत्मा / सभी BTM/ATM अनुपालन करेंगें।)

* वैज्ञानिक एवं प्रसार पदाधिकारी का संयुक्त परिभ्रमण– जिले में 01 (एक) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.28800 lakh) कुल 0.28800 (अठ्ठाइस हजार आठ सौ रूपये) का प्रावधान है। इसके तहत कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों एवं जिले के प्रसार कर्मीयों द्वारा क्षेत्र का संयुक्त परिभ्रमण किया जाएगा। जिससे किसानों से संर्पक कर उन्हें तकनीकी ज्ञान देंगें एवं उनकी कृषि संबद्ध समस्याओं का समाधान करेंगें।

  (अनुपालन– परियोजना निदेशक/ उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी BTM/ATM अनुपालन करेंगें।)

* किसान गोष्ठी– जिले में 24 (चौबिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.15000 lakh) कुल 3.60000 (तीन लाख साठ हजार रूपये) का प्रावधान है। किसान गोष्ठी कार्यक्रम खरीफ एवं रबी मौसम में कराये जाने है। प्रखण्ड़ घाघरा में किसान गोष्ठी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। निदेश दिया गया कि कार्यक्रम आयोजन करने से एक सप्ताह पहले मुख्यालय एवं सभी संबंधित विभाग को कार्यक्रम आयोजन की सूचना दे दी जाए ताकि सभी विभाग के सदस्य भी उस कार्यक्रम में भाग ले सके।

  (अनुपालन– उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी BTM/ATM अनुपालन करेंगें।)

* कृषक पाठशाला – जिले में 36 (छत्तिस) लक्ष्य है जिसके लिए (per unit Rs.0.29414 lakh) कुल 10.58904 (एक लाख अन्ठावन हजार नौ सौ चार रूपये) का प्रावधान हैं। यह पाठशाला एक विषय यथा– किसी भी फसल या सब्जी की खेती, मच्छली पालन आदी पर चलायी जाती है। जिसमें शुरू ये अंत तक तकनीकी जानकारी देते हुए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।उदाहरणस्वरूप– मछली पालन विषय पर चलाई जाने वाले कृषक पाठशाला में तालाब निर्माण, रख–रखाव, मछली जीरा डालना से लेकर उत्पादन तक के सभी कार्य का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।

  (अनुपालन– उप परियोजना निदेशक, आत्मा/ सभी BTM/ATM अनुपालन करेंगें।)

बैठक में यह निर्देश दिया गया कि आत्मा शासकीय निकाय के सभी सदस्यों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें सभी विभाग अपने –अपने विभाग में संचालित कार्यक्रम की पूर्ण जानकारी ससमय शेयर करेंगें जिससे सभी विभाग को एक–दूसरे विभाग की कार्यक्रमों की जानकारी होगी, सभी विभागों के सदस्य परस्पर दूसरे विभाग के कार्यक्रमों में भाग ले पायेंगें एवं सभी विभागों के किसानों को परस्पर दूसरे विभाग से संचालित योजना का लाभ मिल सकेगा।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह– परियोजना निदेशक, आत्मा, गुमला द्वारा JSLPS को आत्मा शासकीय निकाय की बैठक में विशेष अतिथि नामित किया गया। सभी विभाग द्वारा JSLPS को विभाग एवं योजना की विस्तृत जानकारी दी जाए साथ ही कार्यादेश भी जारी किया जाए ताकि JSLPS काम कर सके। आत्मा के कार्यक्रम में JSLPS से convergence किया जाने को प्रस्तावित किया गया। प्रत्यक्षण एवं किसान पाठशाला सभी में JSLPS के Group को शामिल किया जाये।

बाजार समिति के द्वारा उसकी E-Naam योजना, जिला गव्य विकास विभाग के द्वारा 2 गाय की योजना पर भी चर्चा की गई ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गइ।

जिला कृषि पदाधिकारी–सह–
परियोजना निदेशक,आत्मा गुमला

उप विकास आयुक्त
गुमला

ज्ञापांक 190/ATMA दिनांक 07.09.21
प्रतिलिपि– सभी संबंधित पदाधिकारीयों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ समर्पित।

जिला कृषि पदाधिकारी
–सह–परियोजना निदेशक
आत्मा गुमला

ज्ञापांक 190/ATMA दिनांक 07.09.21
प्रतिलिपि– निदेशक, समेति झारखण्ड़ रांची को सूचनार्थ समर्पित।

जिला कृषि पदाधिकारी
–सह–परियोजना निदेशक
आत्मा गुमला

ज्ञापांक 190/ATMA दिनांक 07.09.21
प्रतिलिपि– कृषि निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी (एस0एम0ए0ई0) झारखण्ड़, रांची को सूचनार्थ समर्पित।

जिला कृषि पदाधिकारी
–सह–परियोजना निदेशक
आत्मा गुमला